राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः आई.डी.-178/चिस्वा/ग्रुप-3/2023 दिनांकः 22.11.23

आदेश

नर्सिंग व पैरामेडिकल संवर्ग के पदों पर भर्ती 2023 हेतु ज़ारी की गई विभिन्न विज्ञप्तियों के क्रम में जारी अंतरिम वरीयता सूची (प्रोवीजनल मेरिट लिस्ट) पर प्राप्त विभिन्न ऑनलाइन परिवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों एवं विभिन्न प्रकरणों एवं माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं के दृष्टिगत, राज्य सरकार के पत्र दिनांक 25.4.2023 द्वारा अधिकृत समस्त अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व में जारी अनुभव प्रमाणपत्रों का पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 10.12.2023 तक समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों यथा– अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, पीएफ कटौती, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र संबंधी रिकार्ड, डिस्पेच रजिस्टर, अभ्यर्थी द्वारा किये गये कार्य का रिकॉर्ड इत्यादि को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए इस संबंध में जारी किये जाने वाले कार्यक्रम अनुसार संबंधित दिनांक को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में पुनर्सत्यापित प्रमाणपत्र मय आवश्यक दस्तावेजों के उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. प्रमाणपत्र जारीकर्ता स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होवें।
2. पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र स्वयं अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जावे।
3. नवगठित जिलों के अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाणपत्रों का पुनर्सत्यापन पूर्व के मूल जिलों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा।
4. अनुभव अवधि की गणना भर्ती हेतु आवेदन भरने की दिनांक से एक दिवस पूर्व तक ही की जानी है।
5. अनुभव अवधि की गणना हेतु पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र के बिन्दु सं. 8.4 व 8.5 को ध्यान में रखें यदि अनुबंधित भुगतान दर के अनुसार एक माह में जितना भुगतान किया जाना था उतना भुगतान कर दिया है तो कार्य दिवस 26 होने पर भी इसे एक माह गिना जायेगा। यदि भुगतान में कटौती की गई है तो उतने दिवस गिने जायेंगे जितने दिवस का भुगतान किया है। दैनिक भुगतान दर होने की स्थिति में यदि माह में निश्चित कार्य दिवसों हेतु अनुबंध किया गया है, जैसा कि एम.एम.वी./एम.एम.यू. के लिये होता है (माह में 20 दिन) तो भी, यदि जितने कार्य दिवस का अनुबंध है उतने कार्य दिवस का भुगतान कर दिया है तो, इसे एक माह गिना जायेगा। मोटे तौर पर यदि अनुबंधित अवधि का सम्पूर्ण भुगतान किया गया है तो अनुभव पूर्ण अवधि का माना जायेगा, यदि भुगतान में कटौती की गई है, तो ही अनुभव अवधि में कटौती होगी और जितनी अवधि का भुगतान किया है उतनी अवधि गिनी जायेगी।
6. अभ्यर्थी का अनुबंध जिस पद का है, यदि वह विज्ञापित पद से भिन्न है तो पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र के बिन्दु संख्या 6.4 में स्पष्ट उल्लेख करें।
7. यदि अनुभव प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय/विभाग के आदेशों से जारी किया गया है तो इसका उल्लेख पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र के बिन्दु संख्या 11 में स्पष्ट रूप से करें (रिट सं., याचिकाकर्ता का नाम, माननीय न्यायालय/विभाग के आदेश की दिनांक, आदि)।
8. यदि अनुबंधित पद पर संपादित कार्य इस भर्ती हेतु विज्ञापित पद के कार्य से भिन्न है तो इसका उल्लेख पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र के बिन्दु संख्या 7 के बिन्दु 4 पर स्पष्ट रूप से करें। संपादित कार्य के निर्धारण हेतु अनुबंध या कार्यादेश अथवा समय–समय पर नियंत्रक

अधिकारी द्वारा जारी आदेशों से मिलान करायें एवं इनकी एक प्रति जॉच हेतु साथ लेकर आयें।

9. यदि अभ्यर्थी अनुबंध किए जाने के समय राज्य की संबंधित काउन्सिल में पंजीकृत नहीं था तो उसे पंजीकरण के अभाव में नियुक्ति दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
10. कुल कितने अनुभव प्रमाणपत्र जारी किये गये है? पदवार संख्या से अवगत करायें।
11. पत्र दिनांक 25.4.2023 द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रति पृथक से कारण सहित उपलब्ध कराये।
12. संबंधित पद हेतु विज्ञप्ति में अंकित अवधि के उपरान्त जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रति पृथक से कारण सहित उपलब्ध कराये।
13. एक ही डिस्पेच कमांक से जारी किये गये भिन्न–भिन्न अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।
14. तत्समय जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों में निर्धारित अन्तिम तिथि पश्चात संशोधित किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रति पृथक से कारण सहित उपलब्ध कराये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(रामकिशोर मीणा)
उप शासन सचिव

कमांकः

दिनांकः

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
5. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य/अराजपत्रित/आरसीएच/एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कालेज/राजमेस/आरयूएचएस/झालावाड मेडिकल कालेज।
10. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
12. अन्य समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी।
13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को सभी नियंत्रण अधिकारियों को ई–मेल पर प्रेषित करना एवं विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

सहायक शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
राजस्थान

(डॉ ओ.पी. थाकन)
निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान, जयपुर

नर्सिंग/पैरामेडिकल भर्ती– 2023 हेतु जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन

कार्यालय/संस्थान का नाम मय जिला ....

पूर्व में जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र का क्रमांक : दिनांक :

(अलग–अलग पदनाम/अवधि/अनुबंध/वेतन/संस्थान/एजेंसी होने पर अलग–अलग पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जावें यदि पूर्व में निर्देशानुसार अलग–अलग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है तो अब पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र अवश्यक रूप से अलग–अलग जारी किया जावे)

क्र. सं.	विवरण	प्रविष्टि
1	अभ्यर्थी का नाम	
2	ऑनलाईन आवेदन का आई.डी. क्रमांक (शीफू द्वारा भरा जायेगा)	
3	जन्म दिनांक	
4	पिता का नाम	
5	पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण प्रमाण पत्र में दर्शायी गई अवधि (यदि पूर्व में अलग–अलग अवधि के लिये एक ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया है एवं यदि उक्त अवधि के दौरान भुगतान दर परिवर्तित हुई है अथवा पदनाम बदला है या अनुबंधित संस्था बदली है तो पूर्व में दर्शायी गई अनुभव अवधि हेतु अब अलग अवधि/पदनाम/संस्था के अनुसार अलग–अलग पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करें)	दिनांक........................से..........................तक
6	6.1दर्शायी गई अनुभव अवधि के दौरान कार्यस्थल (संस्थान का नाम एवं स्थान)	
	6.2 संस्थान का प्रकार	(अ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन/ राजमेस/आर.यू.एच.एस., झालावाड़ मेडिकल कालेज सोसायटी (ब)एन.जी.ओ./पीपीपी मोड पर चिकित्सा विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग का संस्थान/एन. एच.एम. से अनुबन्ध पर 108/एम.एम.यू./एम. एम.वी. (स) अन्य विभाग के अधीन/निजी क्षेत्र/गैर अनुबंधित संस्था/अन्य राज्य का/भारत सरकार का संस्थान/ई.एस.आई. का संस्थान/ आउटसोर्स सेवाएं/एफआरएचएस/मेडिकल कैम्प/अन्य कोई (नाम लिखें)
	6.3 उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान पद का नाम (अनुबन्ध या कार्यादेश में दिया गया पद का नाम लिखें, पद का नाम अलग–अलग होने पर अलग–अलग प्रपत्र भरें)	
	6.4 क्या अनुबंधित पद का नाम इस भर्ती हेतु विज्ञापित पद के समान है? यदि नहीं तो विज्ञापित पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कारण लिखें।	
	6.5 योजना का नाम, पद स्वीकृति आदेश संख्या व दिनांक, पद हेतु निर्धारित योग्यता/योग्यताएं तथा योजना के अन्तर्गत आपके अधीन स्वीकृत पदों की संख्या (जारी आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
	6.6 बिन्दु संख्या 6.5 में वर्णित कार्मिकों में से प्रकियाधीन भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए कार्मिकों की संख्या	
7	उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य (सम्बन्धित पर गोला बनायें) यदि अनुबंधित पद पर संपादित कार्य इस भर्ती हेतु विज्ञापित पद के कार्य से भिन्न है तो इसका विवरण लिखे।	1. विज्ञापित पद का कार्य हॉ/नहीं (जॉब चार्ट से तुलना कर लिखें) 2. सी.एच.ओ. का कार्य हॉ/नहीं 3. सी.एच.ए. का कार्य हॉ/नहीं 4. अन्य कार्य (विवरण लिखें)
8	8.1 यदि अनुबंध किया गया है तो यह अनुबन्ध किस प्रकार किया गया है ?	सीधा कार्मिक से/आर.एम.आर.एस. के माध्यम से /पीपीपी/108एम्बुलेन्स/एजेन्सी/एन.जी.ओ. के माध्यम से/आउटसोर्स सर्विसेज/अन्य कोई (नाम लिखे)

	8.2 यदि अनुबन्ध किसी एजेन्सी/संस्था (एन.जी.ओ.) से किया है तो इस एजेन्सी/ संस्था (एन.जी.ओ.) का नाम एवं एजेन्सी/ संस्था (एन.जी. ओ.) को दिये गये कार्यादेश या अनुबंध का क्रमांक/दिनांक	
	8.3 अनुबंध मासिक दर पर किया गया या दैनिक दर पर या जॉब बेसिस पर ।	मासिक/दैनिक/जॉब बेसिस (केवल किसी एक को चुने)
	8.4 अनुबंध की मासिक/दैनिक/जॉब बेसिस पर भुगतान दर (भुगतान दर अलग–अलग होने पर अलग–अलग प्रमाण पत्र भरें)	
	8.5 भुगतान की गई अनुभव अवधि (ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि को ही गणना में सम्मिलित किया जाये। यदि अनुबंधित भुगतान दर मासिक है तो 26 कार्य दिवस को पूर्ण माह गिना जायेगा एवं यदि अनुबंधित भुगतान दर दैनिक है तो कार्य दिवसों की संख्या संबंधित माह के पूर्ण दिवसों के समान होने पर पूर्ण माह गिनां जायेगा। यदि ऐसा नही है तो विवरण दें) (अवधि निरन्तर नहीं होने की स्थिति में पृथक–पृथक अनुभव अवधि के लिये पृथक–पृथक प्रमाण पत्र भरा जावें)	दिनांक.................. से .... तक अवधि वर्ष..............माह...............दिवस................ उक्त अवधि में कार्य दिवसों की संख्या ....
	8.6 उक्त अवधि के दौरान अनुबंध दर के अनुसार नियमानुसार कटौतियों सहित (पीएफ आदि) कुल कितना भुगतान किया जाना था?	
	8.7 उक्त अवधि के दौरान अनुबंध दर के अनुसार नियमानुसार कटौतियों सहित (पीएफ आदि) कुल कितना भुगतान किया गया?	
	8.8 यदि भुगतान में कटौती की गई है तो कितने दिवस के भुगतान की व किस कारण से की गई ?	
	8.9 कटौती उपरान्त कितने कार्य दिवस का भुगतान किया गया?	
9	क्या कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहा है ?	(हां/नहीं)
10	अनुबन्ध के समय राज्य की सम्बन्धित कौंसिल में पंजीकरण था अथवा नहीं? यदि नही तो बिना पंजीयन के नियुक्ति दिए जाने का कारण स्पष्ट करें।	हॉं / नहीं
11.	11.1 यदि माननीय न्यायालय के आदेशों से जारी किया गया है तो रिट संख्या व आदेश दिनांक लिखें 11.2 रिट की वर्तमान स्थिति/आगामी पेशी तिथि	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर रिट सं.........................आदेश दिनांक............................

प्रमाणित किया जाता है कि 1– यह पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र इस संबंध में जारी दिशा–निर्देश कमांक............. दिनांक......... की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्मिक के नियुक्ति, कार्य एवं भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा– अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, पीएफ कटौती, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सम्पादित किए गए कार्य की प्रकृति आदि की पुनः जांच के पश्चात् एवं पूर्व में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभ्यर्थी आवेदक को जारी अनुभव प्रमाण पत्र कमांक ....:दिनांक .... को देखकर ही जारी किया गया है एवं सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सुरक्षित रख ली गयी है जिन्हे भविष्य में मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिया जावेगा। इस पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र का इन्द्राज इस हेतु संधारित रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... के क्रम संख्या .... पर दर्ज है।

2– संविदा कार्मिक स्वयं को इस पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र में अंकित योजना में रखा गया था/है, उक्त कार्मिक को ही वर्णित भुगतान किया गया है तथा उक्त वर्णित अवधि में किए गए कार्य के फलस्वरूप ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था एवं पुनर्सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी
पदनाम मय सील

कमांक:...................

दिनांक:..................

(नोटः अधिकृत अधिकारी इस पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र को स्वयं प्रमाणित करें। इसे प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करें)